रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10112022-240162
CG-MH-E-10112022-240162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/कार्तिक 18, 1944
No. 553] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/KARTIKA 18, 1944

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुंबई, 9 नवम्बर, 2022

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**

**[असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू)**

**और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022**

**सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102.—**बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में, अध्याय-VI के बाद और अध्याय-VII से पहले, निम्नलिखित

अध्याय-VIक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

*"अध्याय - VIक*

*ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति*

***ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण***

*51क. (1) कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 के तहत स्टॉक दलाल के रूप में बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त न कर ले ।*

*(2) ऐसे व्यक्ति को रजिस्टर होने से संबंधित शर्तों और ऐसी अन्य अपेक्षाओं का पालन करना होगा, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ ।*

*(3) इस विनियम के उप-विनियम (1) एवं (2) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, जो व्यक्ति इस विनियम के लागू होने की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा हो, वह, इस विनियम के लागू होने की तारीख से तीन महीनों की अवधि तक या ऐसी अन्य समयावधि तक जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना कार्य करना जारी रख सकेगा, अथवा यदि वह निर्धारित अवधि की भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन कर चुका हो, तो ऐसे आवेदन के संबंध में बोर्ड द्वारा कार्यवाही पूरी किए जाने तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना कार्य करना जारी रख सकेगा ।*

***स्पष्टीकरण.-** इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, "ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति" का अर्थ है – ऐसा व्यक्ति जो ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा हो या उपलब्ध करवा रहा हो, और "ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म" का अर्थ है – मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म को छोड़कर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जहाँ उन ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का प्रस्ताव (ऑफर) किया जाता है और उनमें लेनदेन (ट्रांजैक्शन) किया जाता है, जो सूचीबद्ध हों या जिन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो ।"*

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./376/2022-23]

**पाद टिप्पण :**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/39, 9 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्, 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77, द्वारा संशोधित हुए थे ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th November, 2022

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2022**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/102.—**In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, after Chapter VI and before Chapter VII, the following Chapter VIA shall be inserted, namely –

**"*CHAPTER VIA***

***ONLINE BOND PLATFORM PROVIDERS***

***Registration of online bond platform providers.***

*51A. (1) No person shall act as an online bond platform provider without a certificate of registration from the Board as a stock broker under the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992.*

*(2) Such person shall comply with the conditions of registration and such other requirements as may be specified by the Board from time to time.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) and (2) of this regulation, a person acting as an online bond platform provider without the certificate of registration on or prior to the date of this regulation coming into force, may continue to do so for a period of three months from the date of this regulation coming into force or such other time period as may be specified by the Board, or if it has made an application for grant of a certificate of registration within the specified period, till the disposal of such application by the Board.*

*Explanation. – For the purpose of this Chapter, "online bond platform provider" means any person operating or providing an online bond platform and "online bond platform" means any electronic system, other than a recognised stock exchange or an electronic book provider platform, on which the debt securities which are listed or proposed to be listed, are offered and transacted."*

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./376/2022-23]

**Footnotes**:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on August 9, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/39.

2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, were subsequently amended on April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/77.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA